न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: जयराम जाट, आर.जे.एस.

नम्बरी फौजदारी प्र.सं. –: 408/2016(44/2016)
(प्राथमिकी 65/16 पुलिस थाना, गुडाएन्दला)

CNR Number –: RJPL020005232016

राजस्थान राज्य

––अभियोगी

बनाम

1. बुधाराम पुत्र पोकरराम,
2. पोनीदेवी पत्नी बुधाराम,
3. रमेश पुत्र पोकरराम, (मफरूर दिनांक 30.08.2024)

निवासीगण आकेली, पुलिस थाना, सदर पाली (राज.)

––अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य पक्ष की ओर से।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री हरीराम नेहरा – अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 16.10.2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.04.2016 को परिवादी भंवराराम ने अपनी पुत्री विमला के साथ पुलिस थाना, सदर पाली में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पुत्री विमला का विवाह दिनांक 05.05.2011 को आकेली निवासी रमेशकुमार के साथ किया था। विवाह में उसने अपनी हैसियत के अनुसार सोने–चांदी के जेवरात व घरेलु सामान दिया था। विवाह के पश्चात् से ही रमेशकुमार व उसके परिवार वाले उसकी पुत्री विमला को कम दहेज लाने का ताना देने लगे व मारपीट कर तंग परेशान करने लगे। दिनांक 12.04.2016 को उसका पुत्र पप्पुराम पुत्री विमला के ससुराल गया रातिजोगा हेतु विमला को लेकर आया तब विमला ने उसे व घर

वालों को बताया कि उसका पति रमेशकुमार,जेठ भीमाराम, सासु केसी, ससुर पोकरराम, काकीया ससुर पप्पुराम व देवर बुधाराम व बुधाराम की पत्नी पोनी सभी ने उसे दहेज के लिए तंग व परेशान किया था और कहा कि अपने बाप के घर से दो लाख रूपये लेकर आना नहीं तो वापिस घर मत आना। वह रातिजोगा का कार्यक्रम समाप्त होने पर अपनी पुत्री विमला को छोडने आकेली गया तथा उसे छोडकर वापिस पाली पहुंचा ही था कि उसके रिश्तेदार गोपाराम का फोन आया कि तुम्हारी पुत्री विमला के साथ ज्यादा मारपीट हुई है और बेहोशी की हालत में उसके घर के आगे पडी है जिस पर वह गाडी लेकर वापिस आकेली गया और विमला को गाडी में डालकर पाली अस्पताल लाकर भर्ती कराया। होश आने पर विमला ने उसे बताया कि उसके पति रमेशकुमार, भीमाराम, केशी, पोकरराम, पप्पुराम, बुधाराम व पोनी सभी ने मिलकर उकसे साथ लातों व लाठी से मारपीट की...वगैरह। उक्त तथ्यों की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 65/16 पुलिस थाना, गुडाएन्दला में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रमेश, बुधाराम व श्रीमति पोनीदेवी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406,323/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण रमेश, बुधाराम व श्रीमति पोनीदेवी को अपराध धारा 498ए, 406, 323/34 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

3. साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 भंवरराम, पी.डब्ल्यू.2 विमला, पी.डब्ल्यू.3 वदीया, पी.डब्ल्यू.4 पप्पुराम, पी.डब्ल्यू.5 रमेश, पी.डब्ल्यू.6 रूपाराम, पी.डब्ल्यू.7 डॉ.के.एल. मण्डोरा, पी.डब्ल्यू.8 श्रीमति मंजू, पी. डब्ल्यू.9 ताराराम, पी.डब्ल्यू.10 गोविन्दसिंह व पी.डब्ल्यू.11 बंशीलाल को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2, चोट प्रतिवेदन मजरूबा विमला प्रदर्श पी.3, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.4, फर्द पेशकर्ता व सुपुर्दगी दहेज का सामान प्रदर्श पी.5, पुलिस बयान गवाह ताराराम प्रदर्श पी.6, व चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.7 को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी के कथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा। अभियोजन साक्ष्य के दौरान पुलिस

बयान गवाह मंजू प्रदर्श डी.1, पुलिस बयान गवाह विमला प्रदर्श डी.2, पुलिस बयान गवाह भंवराराम प्रदर्श डी.3 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. प्रकरण में अभियुक्त रमेश को दिनांक 30.08.2024 को मफरूर घोषित किया गया है। आज प्रकरण में अभिुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री से अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतयाः सफल रहा हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावें।

7. इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि परिवादी पक्ष ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद नहीं की है। सभी गवाहान हितबद्ध है तथा किसी भी चश्मदीद साक्षी ने तथा पीडिता ने अभियुक्तगण के विरूद्ध विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है तथा पीडिता विमला व अभियुक्तगण अलग–अलग निवास करते है। पीडिता विमला अपने पीहर में अपने पति के साथ निवासरत थी। अभियुक्तगण ने किसी प्रकार से पीडिता विमला को दहेज के लिए तंग परेशान नहीं किया। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराध बनना पाये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावें।

8. उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का आद्योपांत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ अवधार्य प्रश्न इस प्रकार हैः–

1. क्या अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी परिवादिया श्रीमती विमला के पति रमेश के नातेदार होते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया विमला का अभियुक्त रमेश से दिनांक 05.05.2011 को विवाह होने के बाद से परिवादिया से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर घर से निकालकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से तंग व परेशान कर क्रुरता कारित की तथा सम्पूर्ण स्त्रीधन हडप लिया व मारपीट कर स्वैच्छया उपहतियां कारित की?''
2. यदि हॉ तो उपर्युक्त सजा क्या हो ?

9. उक्त निर्णयार्थ अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण इस प्रकार है कि परिवादी भंवराराम ने पुलिस थाना, गुडाएन्दला में दिनांक 16.04.2016 को एक आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की कि उसकी पुत्री विमला का विवाह दिनांक 05.05.2011 को आकेली निवासी रमेशकुमार के साथ किया था। विवाह में उसने अपनी हैसियत के अनुसार सोने–चांदी के जेवरात व घरेलु सामान दिया था। विवाह के पश्चात् से ही रमेशकुमार व उसके परिवार वाले उसकी पुत्री विमला को कम दहेज लाने का ताना देने लगे व मारपीट कर तंग परेशान करने लगे। दिनांक 12.04.2016 को उसका पुत्र पप्पुराम पुत्री विमला के ससुराल गया रातिजोगा हेतु विमला को लेकर आया तब विमला ने उसे व घर वालों को बताया कि उसका पति रमेशकुमार,जेठ भीमाराम, सासु केसी, ससुर पोकरराम, काकीया ससुर पप्पुराम व देवर बुधाराम व बुधाराम की पत्नी पोनी सभी ने उसे दहेज के लिए तंग व परेशान किया था और कहा कि अपने बाप के घर से दो लाख रूपये लेकर आना नहीं तो वापिस घर मत आना। वह रातिजोगा का कार्यक्रम समाप्त होने पर अपनी पुत्री विमला को छोडने आकेली गया तथा उसे छोडकर वापिस पाली पहुंचा ही था कि उसके रिश्तेदार गोपाराम का फोन आया कि तुम्हारी पुत्री विमला के साथ ज्यादा मारपीट हुई है और बेहोशी की हालत में उसके घर के आगे पडी है जिस पर वह गाडी लेकर वापिस आकेली गया और विमला को गाडी में डालकर पाली अस्पताल लाकर भर्ती कराया। होश आने पर विमला ने उसे बताया कि उसके पति रमेशकुमार, भीमाराम, केशी, पोकरराम, पप्पुराम, बुधाराम व पोनी सभी ने मिलकर उकसे साथ लातों व लाठी से मारपीट की। परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू.1 भंवरराम ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कथन किया कि दो–तीन साल तक विमला व रमेश राजीखुशी रहे, उसके बाद रमेश उसकी पुत्री विमला के साथ अपने पिता के घर से रूपये लाने की बात को लेकर मारपीट करता। रमेश दो–तीन लाख रूपये लाने की मांग करता और उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता। उसका बेटा पप्पुराम विमला को लाने उसके ससुराल गया तब विमला के पति व उसके ससुराल वालों ने विमला के साथ मारपीट की व रूपयों की मांग की। पीहर आने के बाद विमला को उसके ससुराल वापिस छोडने के लिए वह गया तथा विमला को छोडकर वापिस आ रहा था तब पाली पहुंचने से पहले उसके संबंधी गोपाराम का फोन आया कि तुम्हारी बेटी विमला बेहोश पडी है, उसको ईलाज के लिए लेने

आओ जिस पर वह व उसका बेटा पप्पुराम विमला को लेने आकेली गये व उसे जीप में बैठाकर पाली लाये। उसकी पुत्री विमला को मारपीट करके उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया। विमला को ससुराल से निकालने के बाद से विमला उसके पास ही रह रही है। प्रतिपरीक्षण में परिवादी भंवराराम ने कथन किया कि उसने विमला को शादी के समय जो स्त्रीधन दिया था उसकी कोई लिखत पत्रावली पर नहीं है। रमेश व विमला के बीच लडाई झगडा शराब पीकर लडाई झगडा करने व कूटने के कारण होता था। उसकी पुत्री विमला ने उसे बताया था कि उसका पति रमेश उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता है, इसी के कारण दोनों में विवाद था। यह मुकदमा होने के पश्चात् वह रमेश को उसके घर गुडलाई विमला के साथ रहने के लिए लेकर गया था। रमेश वहां महिना–सवा महिना रहा। रमेश शराब पीकर मारपीट करता, सामान कम लाने को लेकर भी मारपीट करता था। पैसे की मांग को लेकर मारपीट करता था। यह बात उसे विमला ने बताई थी। विमला के साथ उसके सामने मारपीट नहीं हुई। परिवादी भंवराराम के बयानों का विश्लेषण करें तो परिवीद ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि विमला व उसके पति रमेश के बीच झगडा शराब पीने के कारण होता था तथा रमेश द्वारा शराब पीकर मारपीट किये जाने का कथन किया है, इस कारण से दोनों के बीच विवाद होना बताया। अभियुक्त रमेश मुकदमा दर्ज होने के बाद परिवादी भंवराराम के घर महिने भर रहा जहां पर रमेश शराब पीकर विमला के साथ मारपीट करता था। सामान कम लाने के कारण मारपीट करता था तथा उसकी पुत्री के साथ उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी। परिवादी भंवराराम अपनी पुत्री विमला के कहे अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कथन किया है। इस प्रकार इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसकी पुत्री के साथ रमेश मारपीट करता था और रिपोर्ट उसने विमला के कहे अनुसार दर्ज करवाई थी। अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी विमला के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की हो, कथन नहीं किया तथा गवाह पीडिता पी.डब्ल्यू.2 विमला ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसका विवाह रमेश के साथ हुआ था। विवाह में उसके पिताजी ने हैसियत अनुसार सोने–चांदी के जेवरात व घर गृहस्थी का सामान दिया था। दो तीन साल तक उसके पति ने उसे राजीखुशी रखा। उसके बाद उसका पति रमेश, सासु केसी, ससुर पोकरराम, जेठ भीमाराम, देवर बुधाराम, देवरानी पाणी उसके साथ मारपीट करते थे और दो लाख रूपये की मांग करते। उसके पीहर में रातिजोगा का कार्यक्रम था तब उसका

भाई उसे लेने आया तब वह पीहर गई। दूसरे रोज उसके पिताजी ने उसे ससुराल छोडा। उसके पिता के ससुराल छोडकर जाने के बाद उसके पति रमेश व ससुराल वालों ने लकडी व लातो मुक्को से उसके साथ मारपीट की। मारपीट से बचने के लिए वह गोपाराम के घर के आगे गई और वहां पर वह बेहोश होकर गिर गई। मारपीट में उसके पेट, हाथ, कमर व दोनों पैरों पर चोटे आई। चोटो का मेडिकल करवाया जो मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 है व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 है। 15–16 माह पहले उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया तब से वह अपने पिताजी के पास गुरलाई में रह रही है। गवाह विमला ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसके डॉक्टरी किस तारीख, महिने, साल में करवाई, याद नहीं। उसके लेफ्ट हाथ में चोट लगी थी, पेट में व पेट के आसपास चोटे आई थी। उसके कुल तीन चोटे आई थी और एक हाथ पर चोट आई थी। उसके हाथ का फैक्चर हुआ था और टांके आये थे। यह गलत है कि बावरी जाति में दहेज लेना देना मना है। यह कहना गलत है कि मेरे पति के अलावा मेरे ससुराल वाले मेरे साथ दहेज की मांग नही करते हो। अजखुदकहा कि उसके पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी उससे दहेज की मांग करते थे, आगे यह भी कथन किया कि उसके साथ दहेज की मांग व मारपीट करते थे। दहेज के लिये रूपये मांगते थे, दहेज के लिये दो लाख रूपये मांगते थे। मारपीट किस साल में की थी, तारीख महीना साल आज याद नही हैं। उक्त प्रकरण दर्ज कराने के दो साल पूर्व से उसके साथ मारपीट करते थे। उक्त दो साल पूर्व की मारपीट के लिये उसने इस प्रकरण से पूर्व कोई रिपोर्ट दर्ज नही करायी। बुद्धाराम व उसकी पत्नी उसके माता पिता के साथ रहते थे, और वह व उसके पति अलग रहते थे। इस घटना की जो मारपीट हुई, उस समय वह व उसके पति अलग रहते थे। उसका पति रमेश शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। उसके साथ घ टना हुई तब वह बेंगलौर रहती थी। फिर कहा कि घटना आकेली में हुई थी। आकेली में वे सभी पड़ौस में रहते थे। विवाद होने की तारीख महीना साल उसे याद नही है। विवाद होने के बाद लड़का हुआ, उस समय वह प्रेगनेंट नही थी। विवाद के बाद वह रमेश के साथ रही, तब वह गर्भवती हुई और लड़का पैदा हुआ। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद उसका पति रमेश उसके साथ बतौर पति रहवास किया था, हम लोगों ने माता पिता से अलग रहवास किया था। उसने रमेश के साथ उसके पीहर में रहवास किया था। उसके बाद रमेश शराब पीकर आता व

साथ चलने का कहता कि यहां नही रहना है, नही तो मैं बच्चों को मारकाट दूंगा। उसने शराब पीने की मना करने के बाद उक्त बातें रमेश उसे कहता था। पीडिता विमला की साक्ष्य का विश्लेषण करें तो गवाह ने रमेश द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया है तथा उसके व रमेश के अलग रहने का कथन किया है तथा बुधाराम व उसकी पत्नी के अलग निवास करने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादिया विमला के साथ अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी साथ में निवास नहीं करते थे, अलग निवास करते थे। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेशकुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 व कहकशा कौसर बनाम बिहार राज्य 2022 में अभिनिर्धारित किया है कि पति के नातेदारों को अपराध में शामिल करने के लिए विशेष आरोप लगाये जाना आवश्यक है, केवल साधारण कृत्य के आधार पर उन्हे अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है। प्रकरण में परिवादिया ने केवल पति रमेश द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त बुधाराम व पोनीदेवी के विरूद्ध कोई विशेष आरोप का कथन नहीं किया है।**

स्वयं परिवादिया की साक्ष्य से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी परिवादी पक्ष से अलग निवास करते थे व पीडिता विमला व रमेश अलग रहते थे तथा मारपीट रमेश ने की थी। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू.3 वदिया जो परिवादिया की माता है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि विवाह के पश्चात् विमला अपने ससुराल आकेली चली गई थी। रमेश उसकी पुत्री विमला को पीहर से रूपये लाने की बात को लेकर मारपीट करता। रमेश दो तीन लाख रूपये लाने की मांग करता व मारपीट करता। उसकी पुत्री विमला को मारपीट करके उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। विमला को ससुराल से निकालने के बाद से विमला उनके पास ही रह रही है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि उसकी बेटी को विमला को दहेज में जो सामान दिया था, उसको लिखकर उन्होने कहीं नही रखा। रमेश व विमला के बीच लड़ाई झगड़ा दहेज में कम सामान देने की बात को लेकर होता था। दहेज कम देने की बात को लेकर मारपीट बाबत बात उसकी पुत्री विमला उन्हे आकर बताती थी। हस्तगत केस करवाने के बाद रमेश व विमला को वह गुरडाई साथ रहने के लिये लेकर गयी थी। अजखुदकहा कि फिर रमेश ने मारपीट की थी। रमेश ने जो बाद में मारपीट की थी, उसका मुकदमा उन्होने दर्ज नही करवाया था। उसे उसकी बेटी ने बताया कि उसके पति व ससुराल वाले उसके साथ दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट करते है। इस

गवाह के बयानों का विश्लेषण करें तो इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि रमेश व विमला के बीच झगडा दहेज में कम सामान लाने की बात को लेकर होता था तथा केस करने के बाद भी रमेश व विमला साथ फिर रमेश ने मारपीट की। इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त बुधाराम व पोनीदेवी ने विमला के साथ मारपीट की हो, इस संबंध में इस गवाह ने कथन नहीं किया है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रमेश को दिनांक 30.08.2024 को मफरूर घोषित किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू.4 पप्पुराम के बयान दिनांक 01.09.17 को लेखबद्ध किये गये थे तथा धारा 309 सीआरपीसी के तहत अधिवक्ता मुलजिम की गवाह से जिरह का अवसर बंद किया गया। उक्त गवाह को बयान हेतु पुनः दिनांक 27.05.2022 को तलब किया गया था उसके पश्चात् उक्त गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उक्त गवाह से अभियुक्तगण को प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिला। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध प्रयुक्त नहीं की जा सकती है।

गवाह पी.डब्ल्यू.8 मंजू ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि विमला को उसके पिता व भाई छोडकर गये तो विमला के साथ रमेश, देवर बुधाराम व उसकी पत्नी ने मारपीट की जिससे उसके हाथ से खून आया। वहां पर गोपाराम खडे थे। उसने मारपीट नहीं देखी। विमला के चोट लगना, खून आने की बात किस तारीख, वर्ष व माह की है, याद नहीं है। उसके घर से पोकरराम के घर में क्या हो रहा है, खाना-पीना, उठना-बैठना नहीं सुन सकते व न ही देख सकते है। रमेश उसके पावणा है जो अलग रहते है। रमेश अपने ससुराल गुरलाई में ही रहा था। विमला के साथ मारपीट होते उसने नहीं देखी। उसके साथ किसने मारपीट की, उसने नहीं देखा। इस गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करें तो इस गवाह ने हालांकि बुधाराम व पोनीदेवी द्वारा विमला के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है परन्तु मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने मारपीट होते नहीं देखी। इस प्रकार यह गवाह सुनी-सुनाई साक्ष्य का कथन करती है। उक्त गवाह परिवादी की रिश्तेदार होकर हितबद्ध साक्षी है। गवाह पी.डब्ल्यू.9 ताराराम व पी. डब्ल्यू.11 बंशीलाल पक्षद्रोही रहे है जिन्होने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। पी.डब्ल्यू.7 डॉक्टर के.एल.मण्डोरा ने दिनांक 14.04.16 को मजरूबा विमला का चोट प्रतिवेदन तैयार किया जिसने मजरूबा के चोटे आने का कथन किया है। पी.डब्ल्यू.5 रमेश व पी.डब्ल्यू.6 रूपाराम नक्शा मौका के गवाह है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.10 गोविन्दसिंह ने बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रमेश,

बुधाराम व पोनीदेवी के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया था। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसे जानकारी नहीं कि बावरी समाज में देज का लेन-देन नहीं होता हो। पीडिता विमला का मेडिकल मुआयना पुलिस द्वारा किया या उसने स्वयं ने करवाया, वह पत्रावली देखकर बता सकता है। प्रार्थीया चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 3, व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 प्रार्थीया स्वयं ने ही पेश किये थे। परिवादिया के पांच साधारण चोटे है। उसे जानकारी नहीं कि विमला के देवर बुधाराम व जेठानी पानी अलग निवास करते हो। उसे याद नही कि परिवादिया विमला व उसका पति रमेश अपने माता पिता एवं ससुराल से अलग रहवास करते है। पीडिता व उसके पति का अलग ओरा था। नक्शा मौका में उसने ओरा नहीं लिखा था, मकान लिखा था। इस प्रकार स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पीडिता व उसके पति का अलग ओरा है। इस प्रकार यह स्वीकृत स्थित है कि पीडिता विमला व उसका पति रमेश अलग निवास करते थे तथा बुधाराम व उसकी पत्नी अलग निवास करते थे।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करें तो स्वयं परिवादिया पी.डब्ल्यू.2 विमला ने स्वीकार किया है कि उसका पति रमेश शराब पीकर मारपीट करता था तथा उसके देवर व देवरानी अलग रहते थे तथा घटना के वक्त वह व उसका पति रमेश अलग निवास करते थे तथा अभियुक्त बुधाराम व पोनी अलग निवास करते थे। मारपीट होने व मुकदमा दर्ज होने के बाद रमेश विमला के साथ उसके ससुराल गुडलाई में रहा था। इस प्रकार किसी गवाह ने कथन नहीं किया कि बुधाराम व पोनीदेवीने विमला के साथ मारपीट कर दहेज की मांग की गई हो। अतः पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी परिवादिया श्रीमती विमला के पति रमेश के नातेदार होते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया विमला का अभियुक्त रमेश से दिनांक 05.05.2011 को विवाह होने के बाद से परिवादिया से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर घर से निकालकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से तंग व परेशान कर क्रुरता कारित की तथा सम्पूर्ण स्त्रीधन हडप लिया व मारपीट कर स्वैच्छया उपहतियां कारित की।

11. लिहाजा उपरोक्तानुसार किए गए विवेचन व विश्लेशण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी के विरूद्ध धारा-498ए, 406, 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप को संदेह से

परे प्रमाणित करने में असफल रहने से अभियुक्तगण बुधाराम व पोनीदेवी को धारा–498ए, 406, 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

12. अतः अभियुक्तगण बुधाराम पुत्र पोकरराम व पोनीदेवी पत्नी बुधाराम, निवासीगण आकेली, पुलिस थाना, सदर पाली (राज.) को अपराध धारा 498ए, 406, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत 6 माह की अवधि के लिए 10,000/– रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करावें कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हे तलब किए जाने पर वे न्यायालय में उपस्थित आएगे। अभियुक्त की ओर से पूर्व में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में अभियुक्त रमेश मफरूर है। अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावें कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावें।

(जयराम जाट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।

15. निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयराम जाट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।